राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 28 / 2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

श्री बद्रीलाल पुत्र नानुराम प्रजापत निवासी पीपलोनकलां तहसील आगर मालवा (मध्यप्रदेश) जरिये दिलीप कुमार चौहान पुत्र बाबुलाल मेघवाल निवासी पिपलोन कलां, शाजापुर, तहसील आगर मालवा (मध्यप्रदेश)	बनाम	थानाधिकारी पारोली, जिला भीलवाडा
––प्रार्थी		––विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :– श्री शाहीद अहमद (अधिवक्ता) – प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक :20.06.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि श्री बद्रीलाल पुत्र नानुराम प्रजापत निवासी पीपलोनकलां तहसील आगर मालवा (मध्यप्रदेश) का वाहन फोर्स मोटर कम्पनी का ट्रेवलेस रजिस्ट्रेशन नंबर MP 09 FA 4246 ईंजन नंबर D37022201] चेचिस नंबर MC1E4CFA7CP017171 जिसे पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54 / 2021 पुलिस थाना, पारोली के अपराध अंतर्गत धारा 5, 6, 8 गोवंध अधिनियम, 1995 में जब्त किया है एवं प्रार्थी उक्त वाहन का स्वामी हैं। उक्त वाहन का मुख्तयारनामा आम दिनांक 05.04.2021 को वाहन स्वामी द्वारा श्री दिलीप कुमार चौहान पुत्र बाबुलाल मेघवाल निवासी पिपलोन कलां, शाजापुर, तहसील आगर मालवा (मध्यप्रदेश) के पक्ष में जारी किया गया है। पुलिस को तफतीश में उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नही हैं। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जायेगा प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे से उपस्थित कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु संतुष्टि प्रतिभूति व स्वयं का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन महिन्द्रा पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 09 FA 4246 को प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.05.2022 को पंजीबद्ध करते हुए विपक्षी से प्रकरण में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की गयी। थानाधिकारी, पारोली द्वारा पत्रांक 1140 दिनांक 30.05.2022 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक जमानत पर है एवं प्रकरण में कोई अनुसंधान शेष नही है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के वाहन फोर्स मोटर कम्पनी का ट्रेवलेस रजिस्ट्रेशन नंबर MP 09 FA 4246 थाना परिसर में पड़े–पड़े खराब हो रहा है एवं अनुसंधान में अब उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन जमानत पर सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थी की बहस सुनी गयी एवं दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय **AIR 2003 SC 638** सुन्दरबाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को विचारण के लंबन काल के दौरान मालखाने के बाबत् प्रकरण के विचारण से पूर्व सुपुर्दगी पर या अंतिम निस्तारण बाबत् आदेश आज्ञापक रूप से पारित कर देना चाहिए।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति ने जप्तशुदा उक्त वाहन का सुपुर्द किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र या क्लेम पेश नहीं किया है। उक्त वाहन की अभियोजन अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में फिलहाल आवश्यकता होना जाहिर नहीं किया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वाक्त न्यायिक दृष्टान्त में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जप्तशुदा वाहन का नियमानुसार निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के संतुष्टिप्रद 5,00,000/– (पांच लाख) रूपये का जमानत नामा व 5,00,000/– (पांच लाख) रूपये का सुपुर्दगीनामा पेश कर तस्दीक किये जाने से पुलिस द्वारा जप्त किये गये वाहन फोर्स मोटर कम्पनी का ट्रेवलेस रजिस्ट्रेशन नंबर MP 09 FA 4246 को प्रार्थी को निम्न शर्तो पर अंतरिम रूप से सुपुर्द किये जाने का आदेश दिया जाता है यदि प्रार्थी –

1. वाहन को जब भी न्यायालय तलब करेगा तब प्रार्थी वाहन को स्वयं के खर्चे पर पेश करेगा।
2. वाहन के रंग रोगन/आकार–प्रकार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा।
3. वाहन को बिना न्यायालय की अनुमति के खुर्द बुर्द नहीं करेगा।

इस संबंध में विपक्षी थानाधिकारी, पारोली को इस आशय की तहरीर अविलम्ब जारी हो कि यदि पुलिस को किसी अन्य मामले में उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं हो तो उक्त आदेशानुसार उक्त वाहन फोर्स मोटर कम्पनी का ट्रेवलेस रजिस्ट्रेशन नंबर MP 09 FA 4246 प्रार्थी को सुपुर्द किया जावें।

आदेश की प्रति थानाधिकारी, पारोली जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा